NOC

संख्या–ई0एम0 2020/15–7–99/1631/99

प्रेषक,

श्री श्याम सुन्दर अग्निहोत्री,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र–2 समुदाय क्रेन्द,
प्रीति विहार, नई दिल्ली।

शिक्षा (7) अनुभाग लखनऊः दिनांक – 26 जुलाई, 2000

विषयः– सेन्ट मेरीज एकेडेमी सरसावा (सहारनपुर) को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि सेन्ट मेरीज एकेड़मी सरसावा (सहारनपुर) को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है :–

1. विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
2. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
3. विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनिसूचित जनजाति के बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगें और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से अथवा बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगें।

Attested

Manager,
St. Mary's Academ
Sarsawa (Saharanpur

Principal
St. Mary's Academy
P.O.: Sarsawa Village
Distt. Saharanpur (U.P.)
PIN- 247232

5. संस्था शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगें।
6. कर्मचारियों की सेवा में बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगें।
7. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगें संस्था उनका पालन करेगी।
8. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा।
9. उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा।
10. उक्त प्रतिबन्धें का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा प्रितिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा हैं अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

(श्याम सुन्दर अग्निहोत्री)
संयुक्त सचिव

पृ०सं०– 111/15.7.99 तद दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।
3. जिला विद्यालय निरीक्षक, सहारनपुर।
4. निरीक्षक, अखिल भारतीय विद्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5. प्रबंधक, सेंट मेरीज एकेडेमी, सरसावा (सहारनपुर)

आज्ञा से,

attested

Manager,
St. Mary's Academy
Sarsawa (Saharanpur)

Principal
St. Mary's Academy
P.O.: Sarsawa Village
Distt. Saharanpur (U.P.)
PIN- 247232

(श्याम सुन्दर अग्निहोत्री)
संयुक्त सचिव